फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

मोहनदास वगैरह बनाम काशीराम(मृतक) दुलीदेवी व अन्य

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–186/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2019	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस वकील उभय दिनांक 09.12.2019 को सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थीगण 1 ता 2 व अप्रार्थीगण 1 ता 2 के नाम रोही किशनपुरा के खसरा सं0 414/3 में 8.00 बीघा भूमि 1955 से पूर्व की खातेदारी में दर्ज होकर कब्जा काश्त में चली आ रही थी। उक्त भूमि चकबंदी में आने पर चक 1 केएसपीएम(ए) प0नं0 11/4 कि0नं0 2, 8 ता 10, 13 ता 15 का 7.00 बीघा व प0नं0 231/60 कि0नं0 6/0.253 है0 कुल 8.00 बीघा में फीट किया गया था। प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा की प्रथम जमाबी सम्वत 2062 में तैयार की तो उसमें भी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 स्व0काशीराम के नाम से चक 1 केएसपीएम के प0नं0 11/4(39) कि0नं0 2, 8 ता 10 व 13 ता 15 का 1.771 हैक्टर(7 बीघा), प0नं0 231/60(40) कि0नं0 6/0.253 है0(1 बीघा) कुल 2.024 हैक्टर (8 बीघा) में पैमुद कर दिया गया। इस जमाबंदी के बाद में नई जमाबंदी और तैयार नही की गई व यही जमाबंदी मौजूदा समय में काम में ली जा रही है। भू–प्रबंध कर्मचारियों ने प्रार्थीगण को कभी मौका पर नही बुलाया व न ही बताया गया व जहां जैरप्रकरण भूमि जो खसरा संख्या 414/3की 8.00 बीघा मौका पर कब्जा काश्त में थी इस तरह फीट न करके स्व0काशीराम अप्रार्थी सं0 1 ने गलत रूप से अपने नाम फीट करवा ली। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 5 में जो रकबा फीट किया गया है उसमें प0नं0 11/4 का कि0नं0 10, 13–14–15 का 4.00 बीघा व प0नं0 231/60 कि0नं0 6/0.253 कुल 5 बीघा बिना कब्जा काश्त में फिट कर चक 1 केएसपीएम(ए) का प0नं0 11/4 कि0नं0 3 ता 7 का 5 बीघा रकबा वर्षो से कब्जा काश्त में चला आ रहा है यही रकबा प्रार्थीगण के खातोरी दर्ज कर फिटिंग किया जाना चाहिए था जबकि बिना कब्जा काश्त वाला रकबा फिट कर दिया जो गैरकानूनी है। जैरप्रकरण रकबा कभी अप्रार्थी संख्या 1 या अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/7 के कब्जा काश्त में नही रहा। यह रकबा शुरू से ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त में रहा है। अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त में इसी चक के प0नं0 11/4 का कि0नं0 10, 13 ता 15 का 4 बीघा व प0नं0 231/60 का कि0नं0 6/1बीघा कुल 5 बीघा आजभी काशीराम के वारिसों के कब्ज काश्त में चला आ रहा है व यही रकबा उनके नाम से दर्ज किया जाना चाहिए। संयुक्त परिवार का मुखिया काशीराम ही था। उसने संयुक्त खाते के अच्छे 5 बीघा रकबा को अकेले अपने नाम के खाते में आरजी काश्तकार सन् 1955 के बाद के खातें में दर्ज करवा लिये। भू प्रबंध विभाग द्वारा सम्वत 2062 की जमाबंदी तैयार की गई है उसके खाता संख्या 8 की कुल 7.415 हैक्टर पहले अप्रार्थी संख्या 1 काशीराम के नाम था, बाद में जरिये इंतकाल संख्या 10 दिनांक 20.10.2012 के अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/7 के नाम दर्ज कर दिया गया। जैरप्रकरण भूमि प0नं0 11/4 के कि0नं0 3 ता 7 की 5.00 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा व कभी कब्जा काश्त नही रहने से उनके नाम से फिटिंग में गलत दर्ज करा दी गई जबकि यह रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त खाता का है व प्रार्थीगण का वर्षो पुराना कब्जा काश्त आज भी चला आ रहा है। जैरवाद भूमि को प्रार्थीगण ने काबिल काश्त बनाया है यह रकबा उनके जीवनयापन का माध्यम है। अप्रार्थीगण उक्त रकबा को बेचने की फिराक में है अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करवाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह जैरवाद रकबा वाके चक 1केएसपीएम (ए) के प0नं0 11/4(39) कि0नं0 3 ता 7 का 5.00 बीघा रकबा को रहन बैय आदि द्वारा हस्तातंरण नही करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का भी गहन अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2062 अनुसार प0नं0 11/4 (39) कि0नं0 2–8 ता 10, 13 ता 15 की 1.771 हैक्टर एवं प0नं0 231/60 (40) कि0नं0 6 का 0.253 हैक्टर भूमि मोहनदास–कासीराम–साजनदास–चुन्नीदास पि0 लाधुदास व बिदामी पुत्री लाधुदास कौम बैरागी साकिन किशनपुरा ब0हि0ब0 खातेदारी दर्ज रिकार्ड है एवं जैरवाद भूमि चक 1केएसपीएम (ए) के प0नं0 11/4(39) कि0नं0 3 ता 7 का 5.00 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 काशीराम के वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के कथन अनुसार जैरप्रकरण भूमि जो खसरा संख्या 414/3 की 8 बीघा मौका परकब्जा काश्त में थी इस हिसाब से फिट नही की गई है। वकील प्रार्थी द्वारा जैरप्रकरण रकबा के सम्बन्ध में परचा खतौनी भी प्रस्तुत नही की गई है जिससे स्पष्ट हो कि जैरवाद रकबा कौनसे खसरा संख्या से पैमुद हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 के वारिस जमाबंदी में अंकित खातेदार कृषक है। खातेदार कृषक को जरिये निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना उचित नही है। पत्रावली के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य सामनें नही आया जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे जाने वाला अनुतोष का निर्णय दावा में तनकी बनाकर एवं साक्ष्य के बाद ही तय होने है। अतः दावा के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित प्रतीत नही होती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत यह प्रा0पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। तथा पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 10.07.2015 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.03 10:49:28 IST
Reason: SelfAttested